

165

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर  
चैम्पियर बांगलादेश रीबा (प्रेस्ट)



पुनरीक्षण प्र०क०-...../14-15

निगरानी 454-III-15

सीधी पत्रदाता शिष्टाचारी एवं  
दृष्टि चेष्टा क्षिप्र प्रपा/  
13.2.15  
अमृत कोटि  
राजस्व मण्डल ग्वालियर  
(सार्केट कोटि) रीबा

चन्द्रमणि तिवारी तनय रामप्रमोद तिवारी आयु 30 वर्ष निवासी  
ग्राम पोस्ट लखहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना  
मोप्र० वर्तमान 172 फील्ड रेजीमेन्ट एल०ओ०सी० फारवर्ड  
कुपवाडा जम्मू एण्ड कश्मीर.....निगराकार

बनाम

- 1- शासन मोप्र०
- 2- विनोद कुमार तिवारी
- 3- कृष्णदत्त तिवारी
- 4- रामनिवास तिवारी
- 5- बब्लू तिवारी तीनो के पिता रामविश्वास तिवारी
- 6- रामविष्णु तिवारी
- 7- कृष्णदत्त तिवारी
- 8- राजेन्द्र तिवारी
- 9- सच्चिदानन्द तिवारी सभी के पिता स्व० रामऔतार तिवारी
- 10- रामविश्वास तिवारी तनय स्व० हनुमान प्रसाद तिवारी सभी  
निवासी ग्राम पोस्ट लखहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला  
सतना मोप्र०.....गैरनिगराकारगण

क्रमांक 4593

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक \_\_\_\_\_ जो प्राप्त

17/06/14  
सतना कोटि  
राजस्व मण्डल अ.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विलङ्घ आदेश अधीक्षक भू  
अभिलेख सतना जिला सतना के  
प्र०क०-691/14 मे पारित आदेश  
दिनांक 17/06/14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50

मोप्र०भू०रा०सं०-१९५९

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लखहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्रो—R.454-III / 15

जिला—सतना

चन्द्रमणि तिवारी/शासन, विनोद कुमार तिवारी

(1)

(2)

(3)

17.05.17

- प्रकरण प्रस्तुत।
- आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
- चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।

सदस्य